<u>महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>
<u>संख्या- 8/2021/1946/तीस-4-2021</u>

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

विषय : शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वसूल किये जाने वाले अनुरक्षण व्यय को निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त स्कूल बसों एवं अन्य छोटे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं का निवारण तथा स्कूली बच्चों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस हेतु अधिसूचना संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018 दिनांक 27 मई, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 निर्गत की गई है। उक्त नियमावली में प्रत्येक जिला के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके परिवहन से सम्बधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, विनिश्चय करने तथा संस्तुति करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक **''जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति''** की व्यवस्था की गई है।

2. उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि शिक्षा संस्थानों के नाम पंजीकृत शिक्षा संस्था बस द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वसूल किये जाने वाले अनुरक्षण व्यय को निर्धारित किये जाने हेतु मानक/फार्मूला तय किये जाने के प्रयोजनार्थ कार्यालय ज्ञाप संख्या-1320/तीस-4-2021, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदेश के 13 संभागों में अधिकांशतः संयोजित 42 सीट वाली स्कूल बस की क्षमता को 42 + 5 = 47 सीटों की क्षमता का मानते हुए अनुरक्षण व्यय 1648.00 निर्धारित किया गया है।

(2) विद्यार्थियों से अनुरक्षण व्यय निम्नवत दूरी के स्लैब के अनुसार लिया जायेगा:-

(i) 0 से 05 किलोमीटर तक निर्धारित अनुरक्षण व्यय का 50 प्रतिशत।

(ii) 05 से 10 किलोमीटर तक निर्धारित अनुरक्षण व्यय का शत-प्रतिशत।

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए निर्धारित अनुरक्षण व्यय से 25 प्रतिशत अधिक।

टिप्पणी:- जो विद्यालय ए°सी° बसों द्वारा विद्यार्थियों का परिवहन करेगें, वे विद्यालय निर्धारित अनुरक्षण व्यय का 25 प्रतिशत अधिक अनुरक्षण व्यय लेने के लिए अधिकृत होगें।

(3) शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वसूल किये जाने वाले अनुरक्षण व्यय को निर्धारित किये जाने के प्रयोजनार्थ मानक सूत्र निम्नवत होगा:-

$$\text{अ} + \frac{\text{ब+स}}{\text{न}}$$

उक्त सूत्र -

अ का तात्पर्य "वर्ष 2020-21 में वर्तमान अनुरक्षण व्यय"

ब का तात्पर्य "स्टाफ के वेतन आदि के मद के खर्च में वृद्धि"

स का तात्पर्य "वाहन के खर्च पर वृद्धि, जिसमें (ईंधन, सुरक्षा उपकरण, वाहन का बीमा, कर एवं ह्रास आदि)"

न का तात्पर्य "औसतन एक स्कूल बस में विद्यार्थियों की संख्या"

टिप्पणी: जिला स्तरीय "जिला विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति" द्वारा अपनी प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में होने वाली बैठक में उपरोक्त सूत्र के आधार पर अनुरक्षण व्यय का प्रति वर्ष निर्धारण किया जायेगा।

(4) उपरोक्त मानक सूत्र के आधार पर अनुरक्षण व्यय का निर्धारण काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से निम्नवत समझा जा सकता है:-

माना कि -

- लखनऊ संभाग में वर्तमान अनुरक्षण व्यय रू° 1969/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी है।
- स्टाफ के वेतन आदि पर कुल व्यय रू° 35000/- है।
- वाहन पर कुल व्यय रू° 47,686/- है।
- औसतन एक स्कूल बस में विद्यार्थियों की संख्या 42 है।
- यदि जुलाई, 2022 में उपरोक्त सूत्र से अनुरक्षण व्यय का अवधारण किया जाता है और इस अवधि में स्टाफ के वेतन आदि पर वर्तमान के सापेक्ष व्यय बढ़कर रू° 36,500/- हो जाता है अर्थात् स्टाफ के वेतन आदि पर वृद्धि रू° 1500/- हो जाती है और इसी प्रकार वाहन पर वर्तमान व्यय रू° 47,686/- से बढ़कर रू° 49,000/- हो जाता है अर्थात् वाहन पर होने वाले व्यय में वृद्धि रू° 1314/- हो जाती है, तो -

.....3....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानक सूत्र में मान रखने पर -

ब+स अ + ---------- न	1500 + 1314 1969 + ---------- =2036/-रू0 42

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि. कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।